राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 948/2025

राजेन्द्र कुमार सहरिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, वन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (प्रशासनिक), राजस्थान, जयपुर।
3. भानु प्रताप सिंह हाड़ा, मंडल अध्यक्ष, किशनगंज, बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, कैवियटर

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2016 में वन रक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा अपने सेवाकाल के दौरान उसका विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होता रहा है। अपीलार्थी अटरू, झालावाड़ में पदस्थ था तथा अंतिम आदेश दिनांक 13.11.2020 द्वारा उसे रेंज किशनगंज में पदस्थ किया गया है। दिनांक 13.05.2020 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को नाका जलवाड़ा रेंज नाहरगढ़ से नाका जेपला रेंज छबड़ा में पदस्थ किया गया है। (अनुलग्नक–2) दिनांक 25.11.2020 के आदेश के अनुसार अपीलार्थी को अगले आदेश तक रेंज किशनगंज, नाका करवारी कलां में पदस्थापित किया गया था तथा उसे किशनगंज में पदस्थापित किया गया है। (अनुलग्नक–3) दिनांक 15.01.2025 के आलौच्य आदेश के अनुसार अपीलार्थी को रेंज किशनगंज, उप वन संरक्षक, बारां से रेंज शाहाबाद, उप वन संरक्षक, बारां, 80 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं। उनके पिता 70 वर्ष के हैं और उनकी माता 65 वर्ष की हैं। वह अपने माता और पिता के इकलौता पुत्र है। अपीलार्थी को राजनीतिक कारणों से स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या 3, भानु प्रताप सिंह हाड़ा, भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने किशनगंज रेंज के बाहर अपीलार्थी के स्थानांतरण के लिए वन मंत्री को एक पत्र लिखा था। (अनुलग्नक–4) तदनुसार अपीलार्थी को दिनांक 15.01.2025 के आदेश के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया

जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान वन संरक्षक कार्यालय, जिला–बारां, रेंज किशनगंज में वन रक्षक के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में वन रक्षक के पद पर वन संरक्षक कार्यालय, बांरा रेंज किशनगंज में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज किशनगंज, उप वन संरक्षक, बारां से रेंज शाहाबाद, उप वन संरक्षक, बारां में आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा किया गया।

हम पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बांरा जिले में ही किया गया है। अतः उसकी वरिष्ठता प्रमाणित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रमाणित हो कि अनुलग्नक–4 पर प्रस्तुत पत्र के आधार पर स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर किया गया है। आलौच्य आदेश में हम नियमों का उल्लघंन या कोई दुर्भावना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक की निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर निस्तारित किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)